कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद अम्बेडकरनगर।

पत्र संख्याःक–01/2018

दिनांकः फरवरी 16 ,2019

अल्प कालिक निविदा

पुलिस लाइन, अम्बेडकरनगर के मुख्य गेट पर अवस्थित कैन्टीन जिसमें 01 कमरा लम्बाई, चौड़ाई 13×13.05 फीट है। वर्दी वस्तुओं व दैनिक उपभोग के सामान्य वस्तुओं की बिक्री होगी, को संचालित कराने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म निविदा आमंत्रण की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में पुलिस कार्यालय, अम्बेडकरनगर में प्रातः 10.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क रू0 100/– जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ अपना स्थाई एवं अस्थाई पता/मोबाईल नम्बर आदि के साथ ही पहचान पत्र के तौर पर राशन कार्ड, ड्राइविगं लाइसेन्स, पासपोर्ट, मतदाता पत्र अथवा इसी रूप में स्वीकार किए जाने योग्य स्थाई दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ आयकर प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेजों के सत्यापन में अथवा भविष्य में कभी भी कोई दस्तावेज अथवा अन्य कोई तथ्य असत्य पाया गया तो फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार की अर्नेस्टमनी तत्काल जब्त करते हुए स्वीकृत निविदा भी निरस्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उनके विरूद्ध प्रचलित कर दी जाएगी। प्रत्येक निविदा के साथ रू0 2,000/– (दो हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा।

2– निविदा सीलबन्द लिफाफे में पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर के कार्यालय में दिनांक 27–2–2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। निविदा के साथ निविदा दाता का पैन कार्ड व आधार कार्ड संलग्न होना चाहिए। निविदा से सम्बन्धित लिफाफे के ऊपर **''पुलिस लाइन अम्बेडकरनगर कैन्टीन हेतु निविदा''** अवश्य लिखा होना चाहिए। निविदा उसी तिथि को ही अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोला जायेगा।

3– किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है, जिसके लिए निविदादाता को कारण बताने की बाध्यता नही होगी।

4– पुलिस लाइन, अम्बेडकरनगर में कैन्टीन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे भवन के किराये हेतु अधिकतम बोली बोलने वाले फर्म/व्यक्ति के पक्ष में ही निविदा स्वीकार की जायेगी।

5– निविदा जिस फर्म/व्यक्ति के पक्ष में स्वीकार होगी, उसे सूचना मिलने के 15 दिवस के अन्दर नान ज्यूडियल स्टैम्प पर अनुबन्ध करना होगा, जिसमें उल्लिखित प्रतिबन्धों को मानने के लिए वह बाध्य होगा।

6– निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त् सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को 15 दिवस के अन्दर रू0 3,000/– (तीन हजार मात्र) जमानत धनराशि के रूप में आंकिक के पास जमा करना होगा।

7– कैन्टीन संचालन के लिए किराये के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि साफ–साफ अंकों व शब्दों में अंकित होनी चाहिए।

8– निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त किराये की रकम प्रत्येक माह आंकिक के यहॉं जमा करना होगा।

निविदा की शर्ते :–

निविदा हेतु निम्नलिखित भार्तो के लिए एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा, इसलिए वही फर्म/व्यक्ति निविदा में प्रतिभाग करें, जिन्हें स्वीकार हों–

(1) कैन्टीन संचालन की अवधि निविदा स्वीकार होने की तिथि से एक वर्ष तक की होगी।

(2) भवन किराये के अतिरिक्त प्रत्येक माह मीटर रीडिगं के अनुसार बिजली का शुल्क देना होगा।

(3) न्यूनतम रू0 3,000/– प्रतिमाह से कम किराया देने वाले फर्म/व्यक्ति की निविदा पर विचार नही किया किया जायेगा।

(4) निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो तत्काल प्रभाव से निविदा निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

(5) कैन्टीन में बाल श्रमिकों को काम में नही लगाया जायेगा तथा कैन्टीन में धुम्रपान से सम्बन्धित वस्तुऑ (गुटखा,सिगरेट,शराब आदि) की बिक्री नही की जायेगी। साथ ही केन्द्रीय/उ0प्र0राज्य से प्रतिबन्धित वस्तुओं की भी बिक्री नही की जाएगी।

(6) कैन्टीन भवन/स्थान के मूलभूत संरचना व स्थाई दीवारों आदि में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी की लिखित स्वीकृति आवश्यक होगी।

16.2

पुलिस अधीक्षक,
अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– जिलाधिकारी, जनपद अम्बेडकरनगर।
2– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0विभाग अम्बेडकरनगर।
3– नजारत जिलाधिकारी, जनपद अम्बेडकरनगर।
4– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र, (अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर।
5– अध्यक्ष नगर पालिका, जनपद अम्बेडकरनगर।
6– समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद अम्बेडकरनगर, प्रचार प्रसार हेतु।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) जनपद अम्बेडकरनगर को नेट पर प्रसारण हेतु
8– निविदा की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

2/–